अपने अधिकारों की माँग

एक गाइड बुक, आम लागों के लिए

4: जून 2016

7 कदम एक समुदाय को बेहतर बनाने के लिए

यह छोटी किताब एक आम इंसान के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बनाई गई है। सरकार ने हम सभी के लिए बहुत सारी सुविधाएं बनाई हैं। यह सुविधाएं मिलने सब लोगों का अधिकार हैं चाहे वे गांव, शहर या बस्ती में रहते हैं। लेकिन कुछ सरकारी कर्मचारीओ की वजह से यह सुविधाएं एक आम इंसान तक नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए सुविधाओं को मिलने के लिए आम लोग दलाल के पास जाने मज़बूर हैं और पैसा देते हैं जब सुविधाएं मुफ़्त होने चाहिए । यह किताब 7 कदमों में दर्शाता हैं कि आप और अपने साथि कैसे इन सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं: दलाल व रिश्वत के बिना । यह 7 कदम इस प्रकार हैं :

1. मीटिंग करे – किस समस्या को पहले हल करें
2. अपने अधिकारों को जाने
3. अधिकार मिलने के लिए आवेदन पत्र लिखे
4. सही सरकारी दफ़्तर के कर्मचारी को आवेदन पत्र दें
5. सही समय का इंतज़ार करें
6. अगर आवश्यकता है, तो कुछ दबाव डाले
7. सफ़लता मिलने पर सब के साथ खुशी मनाए

1. बैठक करे – किस समस्या को पहले हल करें

समुदाय के समस्या और एक जन की समस्या

कुछ समस्याओं का असर, जैसे पेंशन या राशन कार्ड का न मिलना, सिर्फ़ एक ही व्यक्ति पर पड़ता हैं और उन्हें सुलझना थोड़ा आसान भी है। अगर आप भी किसी ऐसी समस्या से गुजर रहे है तो आप इस किताब के आखिरी 6 कदम द्वारा अपनी समस्या हल कर सकते है। फिर आप भी किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद कर सकते हैं । उस से पैसा न लें क्योंकि यह सेवायं सभी के अधिकार हैं और मुफ़्त में मिलनी चाहिए। इसके अलावा कुछ समस्याएं, जैसे बिजली या साफ़ पानी की कमी, पूरे गॉव या बस्ती पर असर करती हैं । इन समस्याओं को हल करना थोड़ा मुश्किल हैं, इसलिए पूरे समुदाय को मिल कर काम करना होगा और साथ मिलकर इन्हे सुलझाना होगा। अगर आपके गाँव या बस्ती में ऐसी कोई समस्या हैं, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों की बैठक करे और मद्दु पर चर्चा करे । याद रखे इस मीटिंग में :

- **सभी की बात सुनेः** आमतौर पर सिर्फ बड़े बड़े लोग ही ऐसी बैठकों में उपस्तिथ रहते है, मगर आप सभी लोगों को पूरा महत्व दे। इसलिए कोशिश करे की बैठक में बच्चे, बूढ़े, महिलाए, विकलांग और गरीबों की उपस्तिथि हो ।
- पहले से ही आप **किसी ऐसे व्यक्ति को चुन** ले जिसकी समुदाय में अच्छी पकड़ हो और सभी लोग उसकी सुनते हो और इज़्जत करते हो, इससे आपको बैठक को आगे बढ़ाने में सहायता मिलेगी।
- **सब लोगों की बातें ध्यान से सुनेः** जो भी उन्होंने बोला, आप उसे दोबारा दोहराए ताकि वह ये जान पाए कि आप उनकी बाते समझ गए है ।
- **किसी को ज़्यादा न बोलने देः** वर्ना दूसरे लोगों को बोलने का मौका नहीं मिल पाएगा । अगर कोई ज़्यादा बोल रहा हैं, उस की बात और भी ज़्यादा दोहराओ, ताकि वह जाने कि आप सुन रहे है और वह अपने आप खामोश हो जाए ।
- उम्मीद हैं कि फ़ैसला हो जाए कि **किस समस्या को पहले हल करें** । अगर ज़रूरी हो, वोट कर सकते हैं, मगर वोट हारने वाले निराश हो सकते हैं । बेहतर हो कि समझौते से सब लोग – छोटे – बड़े – उस समस्या को पहले हल करने के लिए तेयार हो ।

<u>उस समस्या को चुनने का लक्षय रखे जो :</u>

- समस्या को हल करने के लिए समुदाय में कितना जोश भरा हुआ हैं ?
- समस्या कितने लोगों पर असर डाल रही हैं ? कोई ऐसी समस्या न चुनो जो सिर्फ आप को परेशान करती हैं । पहले दूसरे लोगों– खास तौर पर छोटे लोगों– के बारे में सोचिए ।
- इस समस्या को हल करने में क्या कोई दुशमन बनेंगे ?
- समस्या को हल करने के लिए कितना समय व पैसा लगेगा ?
- क्या अपके ज़िले में किसी दूसरे गॉव या बस्ती ने इस ऐसी समस्याओं को हल किया हैं ?

2. अपने अधिकारों को जानो (जून 2016 को)

मुद्दा	अधिकार (कानून या योजना का नाम) लाभ का विवरण वेबसाइट लीक	कार्यालय जिस को **आवेदन देना है** *अपने दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*	समय इंतिज़ार करना	कार्यालय जिस में **शिकायत** कर सकते हैं *दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*
पानी व खाना				
1 पीने का पानी	योजना: **राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम** 1 आदमी के लिए 55 लीटर रोज़ http://indiawater.gov.in/mdws_ebook_light/ebook.html#p=28 (प्रष्ठ 29)	स्थानीय कार्यालय लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	2 महीने	राज्य कार्यालय जल निगम
2 खाद्य सुरक्षा	**कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** 5 किला अनाज (रू 2 गेहूं रू 3 चावल) प्रति व्यक्ती प्रति महीना 35 किलो प्रति अति गरीब परिवार प्रति महीना http://www.righttofoodindia.org/data/right_to_food_act_data/official_documents/NFSA_2013_Full_Text.pdf See Sct 3(1) and Schedule 1	स्थानीय खाद्य एंव आपूति विभाग	1 महीना	राज्य खाद्य एंव आपूर्ति विभाग
3 ऑगनवाड़ी	**कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** हर 40 बच्चें (6 साल से कम) के लिए एक आंगनवाड़ी http://www.righttofoodindia.org/orders/2006dec13scorderabridged.doc (प्रष्ठ 3)	स्थानीय महिला एवं बाल विकास कार्यालय 3 से 6 वर्ष के 40 बच्चों की सूची के साथ	6 महीने	राज्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
4 मध्यान्तर भोजन	**कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** कक्षा 8 तक के हर बच्चे को स्कूल के हर दिन (200 दिन साल में) अच्छा खाना http://www.righttofoodindia.org/data/right_to_food_act_data/official_documents/NFSA_2013_Full_Text.pdf See Sct 5(1)b	स्कूल प्रिंसिपल	1 महीना	मिड डे मील ऑथोरिटी

मुद्दा	**अधिकार** (कानून या योजना का नाम) लाभ का विवरण **वेबसाइट लीक**	कार्यालय जिस को **आवेदन देना है** *अपने दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*	**समय** इंतिज़ार करना	कार्यालय जिस में **शिकायत** कर सकते हैं *दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*
आय				
1 मनरेगा 	**कानून: राष्ट्रिय ग्रामीण रोज़गार योजना अधिनियम** हर ग्रामीण परिवार को हर वर्ष 100 दिन रोज़गार http://nrega.nic.in/rajaswa.pdf See sct 3(1) कम से कम 167 रूपये प्रति दिन http://nrega.nic.in/netnrega/writereaddata/Circulars/1517Revised_wage_rate.pdf	ग्राम पंचायत	2 महीने	राज्य ग्रामीण विकास विभाग
2 पेंशन 	**योजना: राष्ट्रीय समाज सहायता योजना** 60 वर्ष से अधिक (बी पी एल) वृद्धा के लिए रु200 पेंशन 40 से 79 वर्ष (बी पी एल) विधवाओं के लिए रु300 पेंशन 20000 (बी पी एल) परिवार जिसके कमाने वाला मर जाते http://nsap.nic.in/Guidelines/nsap_guidelines_oct2014.pdf See Sct 2.3 on page 6,7	स्थानीय समाज कल्याण विभाग	3 महीने	राज्य समाज कल्याण विभाग
3 बच्ची के लिए पैसे 	**योजना: धनलक्ष्मी, लाडली लक्ष्मी** (सब जगहों में नहीं) लड़की के जन्म के लिए, परिवार के खाते में रु500 जमा होता हैं । शिक्षा के हर कदम पर, राशि बढ़ती रहती है 18 साल तक शादी ना होने पर पैसा निकालस जा सकता है। *http://wcdhry.gov.in/balika_samridhi_yojana.htm*	स्थानीय महिला एवं बाल विकास विभाग	1 महीना	राज्य महिला एवं बाल विकास विभाग
4 रोज़गार के लिए शिक्षा 	**योजना: जन शिक्षा संस्थान** पूरे भारत में अलग अलग जगहों पर : सस्ता व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसे मोमबत्ती बनना, सिलाई व कमप्यूटर कोंस http://www.nlm.nic.in/jss.htm स्थानों के लिए http://jss.nic.in/initJssUnitPortal.do	पास में कोई जन शिक्षा संस्थान केंद्र	3 महीने	राज्य स्कूल शिक्षा विभाग

मुद्दा	अधिकार (कानून या योजना का नाम) लाभ का विवरण वेबसाइट लीक	कार्यालय जिस को **आवेदन देना है** *अपने दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*	**समय** इंतिज़ार करना	कार्यालय जिस में **शिकायत** कर सकते हैं *दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*
स्वास्थ्य				
1. आर. एस. बी. वाई	**योजना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना** आर. एस. बी. वाई बी पी एल परिवार के लिए हर वर्ष रु30,000 तक मुफ्त इलाज । http://rsby.gov.in/about_rsby.aspx प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में 1 डाक्टर होना चाहिए और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 http://planningcommission.gov.in/reports/peoreport/peo/peo_chc.pdf Pg 6	पास का सरकारी अस्पताल या प्राईवेट RSBY अस्पताल	1 महीना	RSBY नोडल अफसर
2. टीकाकरण	**योजना: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन** टी बी, पोलियो, डी.पी.टी., हेपिटाइटस बी, और अन्य टीकाकरण, सब मुफ्त में, हर बच्चे के लिए http://www.nhp.gov.in/universal-immunization-programme-uip_pg	आशा, प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1 महीना	ज़िला अस्पताल का CMO
3. गर्भवजी एवं स्तनपान करने वाली महिलाओं	**कानून: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013** गर्भवती महिलाओं के लिए आंगनवाड़ी में मुफ्त खाना । अस्पताल में पैदाइश होने पर रू 6,000 मिलेगा । http://www.righttofoodindia.org/data/right_to_food_act_data/official_documents/NFSA_2013_Full_Text.pdf See Sct 4	आशा, प्राथमिक या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र	1 महीना	ज़िला अस्पताल का CMO
4. टी बी इलाज	**योजना: डोटस** टी बी के लिए मुफ्त जांच और इलाज Web: http://www.tbfacts.org/tb-treatment-in-india/	पास का कोई **डोटस** केंद्र	1 महीना	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
5. विकलांग व्यक्ति	**योजना: राष्ट्रीय समाज सहायता योजना** अगर विकलंगता 40% से ज़्यादा है तो विकलांगता प्रमाण पत्र मिलेगा । अगर 40% विकलांगता, बीपीएल और उमर 18 से 79 हैं तो पेंशन रू 300 प्रति महीना मिलें । http://nsap.nic.in/Guidelines/nsap_guidelines_oct2014.pdf (See page 6)	ज़िला अस्पताल का CMO	3 महीने	राज्य समाज कल्याण विभाग
6. एच आई वी–एडस	**योजना: नेशनल एड्स कंट्रोल संस्था** मुफ्त जॉच, इलाज व देखबाल सरकारी केंद्र में। http://naco.gov.in/NACO/National_AIDS_Control_Program/Treatment/	पास का कोई **ए आर टी** केंद्र	1 महीना	स्टेट एड्ज़ प्रेवेंशन एंड कंट्रोल सोसाइटी

मुद्दा	अधिकार (कानून या योजना का नाम) लाभ का विवरण वेबसाइट लीक	कार्यालय जिस को आवेदन देना है *अपने दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*	समय इंतिज़ार करना	कार्यालय जिस में शिकायत कर सकते हैं *दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*
शिक्षा				
1. स्कूल	कानून: शिक्षा का अधिकार अधिनियम आठवी तक बिलकुल मुफ़्त शिक्षा (Sct 3)। हर 35 बच्चें के लिए 1 अध्यापक होना चाहिए (Sct 25)। हर प्राईवेट स्कूल को में गरीब बच्चें के लिए 25% जगह देनी हैं (Sct 12(b)। http://www.upefa.com/upefa/rte/rte.pdf	पास सरकारी या प्राईवेट (बीपीएल के लिए) स्कूल	1 महीना	राज्य सर्व शिक्षा अभियान
2. शिक्षा का लाभ	कानून: शिक्षा का अधिकार अधिनियम किताब और वार्दी मुफ़्त है आठवी तक http://mhrd.gov.in/rte_state_rules	पास सरकारी या प्राईवेट (बीपीएल के लिए) स्कूल	1 महीने	राज्य सर्व शिक्षा अभियान
3. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान 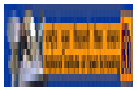	योजना: राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान सस्जी दूरस्थ शिक्षा (स्कूल जाने के बिना) सभी के लिए 12वीं तक http://www.nos.org/	स्थानीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान केंद्र	1 महीना	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान केंद्र
बिजीलि व गेस				
1. बिजली	प्रधान मंत्री का वायदा हर गांव को बिजली से जोड़ दिया जाय मार्च 2019 तक। http://tribune.com.pk/story/938840/modis-agenda-all-villages-to-get-electricity/	ज़िला बिजली देने वाला कम्पनी	3 साल	राज्य विद्युत निगम लिमिटेड
2. गैस कनेक्शन	योजना: इण्डेन या भारत गैस हर घर जिस में खाना पकाने की जगह अलग से और पक्का स्टोव है उस घर को एक गैस कनेक्शन । Web: https://indane.co.in/faq.php हर साल 9 सबसिडी वाले गैस सिलेडंर (रू 400–500 में) http://indane.co.in/initiatives-new.php	पास का इण्डेन या भारत गैस वाला	2 महीने	राज्य इण्डेन या भारत गैस दफतर

मुद्दा	**अधिकार** (कानून या योजना का नाम) लाभ का विवरण **वेबसाइट लीक**	कार्यालय जिस को **आवेदन देना है** *अपने दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*	**समय** इंतिज़ार करना	कार्यालय जिस में **शिकायत** कर सकते हैं *दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*
गॉव सुवीधाऐं				
1. शौचालय / लैट्रीन	**योजना: स्वच्छ भारत मिशन** पक्का लैट्रीन बनाने के लिए रु 12,000 सबसिडी *http://indiawater.gov.in/mdws_ebook_light/ebook.html#p=12 (see page 19)*	ग्राम पंचायत	3 महीने	राज्य लोक स्वास्थ्य इजीनियरिंग
2. खड़न्जा और नालिया	**योजना: ग्रमीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति** ग्रमीण स्वास्थ्य और स्वच्छता समिति को रु10,000 हर साल मिलते है गॉव के विकास के लिए। **http://nrhm.gov.in/images/pdf/communitisation/vhsnc/order-guidelines/vhsnc_guidelines.pdf** (See page 3)	स्थानीय ग्रामीण स्वास्थ्य औत स्वच्छ समिति	6 महीने	राज्य लोक स्वास्थ्य इजीनियरिंग
3. मकान	**योजना: इंदिरा आवास** बी पी एल परिवारो को घर बनाने के लिए रु70,000 http://iay.nic.in/netiay/IAY%20revised%20guidelines%20july%202013.pdf (See pages 5, 45)	स्थानीय ग्रामीण विकास दफतर	1 साल	राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय
4. भूमिहीनों के लिए भूमि	**योजना: इंदिरा आवास होम साइट योजना** ग्रामीण, भूमिहीन, घर के बिना, बी पी एल परिवार को 400 गज़ ज़मीन । http://iay.nic.in/netiay/IAY%20revised%20guidelines%20july%202013.pdf (See pages 7, 45)	स्थानीय ग्रामीण विकास दफतर	1 साल	राज्य ग्रामीण विकास मंत्रालय
5. सड़कें	**योजना: प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना** हर गांव जिस में 500 से ज़्यादा लोग रहते हैं (पहाड़ी जगह में 250) तक पक्की सड़क । Web: http://pmgsy.nic.in/pmg61.asp	स्थानीय लोक निर्माण विभाग	1 साल	राज्य लोक निर्माण विभाग

मुद्दा	अधिकार (कानून या योजना का नाम) लाभ का विवरण वेबसाइट लीक	कार्यालय जिस को **आवेदन देना है** *अपने दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*	**समय** इंतिज़ार करना	कार्यालय जिस में **शिकायत** कर सकते हैं *दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*
मानव अधिकार				
1. घरेलू हिंसा	**कानून: घरेलू हिंसा से महिलाओं को मुक्ति अधिनियम 2005** किसी भी प्रकार का घरेलू हिंसा (मारना, तंग करना, खाना ना देना, धमकी देना, गाली, दहेज मांगना) सख्त मना हैं । Web:http://www.lawyerscollective.org/files/protection_of_women_from_domestic_violence_act_2005.pdf (See Sct 3)	स्थानीय पुलिस थाना, महिला आयोग	2 हफते	पुलिस का DCP
2. बाल मज़दूरी	**कानून: बाल श्रम अधिनियम 1986** 14 साल से कम बच्चे से किसी भी खतरनाक काम (जैसे ढाबों, घरेलू काम, फ़ताके) में काम करवाना गैरकनूनी हैं। http://www.childlineindia.org.in/Child-Labour-Prohibition-and-Regulation-Act-1986.htm (See Sct III)	1098 मुफ्त हेल्पलाइन नम्बर पर फ़ोन करें	2 हफते	श्राज्य श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय
3. बाल शादी	**कानून: Prohibition of Child Marriage अधिनियम 2006** लड़का 21 वर्ष से कम और लड़का 18 वर्ष से कम शादी गेरकानून है। जो बाल शादी करवाता है सजा http://www.childlineindia.org.in/child-marriage-india.htm	1098 मुफ्त हेल्पलाइन नम्बर पर फ़ोन करें	1 हफता	राष्टरीय मानव अधिकार आयोग
4. तस्करी बंधुआ मज़दूर	**कानून: बंधुआ मज़दूर अधिनियम 1976** बंधुआ मज़दूरों कर्ज से मुक्त किया जाता है। बंधुआ मज़दूरों को मुआवज़ा दिया जाता है। समाज में फ़िर दोबारा जोड़ना की मदद। http://www.childlineindia.org.in/CP-CR-Downloads/Bonded Labour System (Abolition) Act 1976 and Rules.pdf	ज़िला विजीलेंस समिति	6 महीने	राष्टरीय मानव अधिकार आयोग
5. तस्करी वेश्यावृत्ति	**कानून: Immoral Traffic (Prevention) अधिनियम 1956** तस्करों को आजीवन कारावास की सज़ा भी हो सकती। बच्ची को बाल कल्याण द्वारा समिति देखभाल । http://www.childlineindia.org.in/CP-CR-Downloads/Immoral Traffic Prevention act 1956.pdf	स्थानीय पुलिस थाना, महिला आयोग	6 महीने	राष्टरीय मानव अधिकार आयोग

मुद्दा	**अधिकार** (कानून या योजना का नाम) लाभ का विवरण **वेबसाइट लीक**	कार्यालय जिस को **आवेदन देना है** *अपने दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*	**समय** इंतिज़ार करना	कार्यालय जिस में **शिकायत** कर सकते हैं *दफ़्तर का पता खाली जगह में लिखें*
कागजात				
1. मतदाता पहचान पत्र	**योजना: भारत का चुनाव आयोग** हर भारतीय जिसकी उम्र 18 से ऊपर हैं को पहचान पत्र मिलें। फिर वह व्यक्ति वोट दाल सकता हैं और अन्य प्राप्त कर सकते हैं । *http://www.nvsp.in/*	मतदाता पंजीकरण एवं मतदाता केंद्र	1 महीना	राज्य मुख्य चुनाव अधिकारी
2. आधार कार्ड	**योजना: भारत आधार आयोग** हर भारतीय के लिए आधार कार्ड, इस में 12 अंको का अद्वितीय पहचान UID नंबर हैं । http://uidai.gov.in/what-is-aadhaar-2.html	आधार कार्ड वाले जो आप के गाँव आएगें	1 महीना	भारत आधार आयोग UIDAI
3. जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्र	**योजना: जन्म व मृत्यु पंजीकरण** हर भारतीय के लिए जन्म प्रमाण पत्र। http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php?Pno=birthcertificate.php हर भारतीय के लिए मृत्यु प्रमाण पत्र। http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php?Pno=deathcertificate.php	सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	1 महीना	ज़िला मैजिस्ट्रट
4. जाति प्रमाण पत्र	**योजना: जाति प्रमाण पत्र** हर अनुसूचित जाति /जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग वाले भारतीय के लिय प्रमाण पत्र । *http://www.advocatekhoj.com/library/legalforms/howdoi/index.php?Pno=castecertificate.php*	सब डिवीजनल मैजिस्ट्रेट	3 महीने	ज़िला मैजिस्ट्रट

3. अधिकार मिलने के लिए आवेदन पत्र

कुछ आवेदन विशेष फ़ार्म की आवश्यकता होती है जोकि दफ़्तरों में उपलभ होते हैं।
और अगर फ़ॉम न मिल तो, खाली कागज़ पर अपना आवेदन लिखे और सही दफ़्तर को (बगल तलिका में पीले खाने को देखिए) दे।
उसके अलावा निमलिखित 4 बातों पर ध्यान दे :

1 अपनी समस्या को साफ बताइए। जैसेः आपके गॉव तक पक्की सड़क नहीं है, इस लिए बरसात में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता हैं। अगर समस्या का फोटो भी हो (जेसे कीचड़ भरी सड़क) तो चिपका दीजिए, इससे आवेदन और भी अच्छा बनेगा ।

2 अपने अधिकार , और किस कनून या योजना से यह अधिकार मिलता है (बगल तलिका में हरे खाने को देखिए)। जैसेः प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सरकार ने वादा किया है कि हर गॉव जिस की आबादी 500 से ज़्यादा हैं उसको पक्की सड़क मिलेगी ।

3 आवेदन साफ़ बताइए । आपको क्या चाहिए और कब तक ? जेसेः 1 साल के अंदर, 30 जून 2017 तक, हमें अपने गाँव तक पक्की सड़क चाहिए। (बगल तलिका में नीले खाने को देखिए)

4 दबाव। साफ़ बताइए कि अगर आपका काम पूरा ना हो तो आप क्या दबाव डालेंगे । जैसेः अगर 31 दिसंबर 2016 तक सड़क बनने की शुरुआत न हो, तो हम आर टी आई डालेंगे ।
अपने आवेदन की एक कॉपी मुख्य कार्यालय (बड़े अफ़सर) (बगल तलिका में गुलाबी खाने को देखिए) को भी भेज देना । फ़िर शायद छोटा अफ़सर बात मान कर जल्दी काम कर लेगा ।
आवेदन का नमूना नीचे दिया गया हैंः

<u>आवेदन का नमूना</u>

सेवा में
लोक निर्माण विभाग,
ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश
1 माई 2016

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा शिवारामपुर के लिए पक्की सड़क

महोदय,
मैं शिवारामपुर, ज़िला फतेहपुर का निवासी हूँ । इस गॉव की आबादी 2011 जनगणना में लगभग 1,350 थी।

1 हमारे गॉव तक पक्की सड़क नहीं है, इस लिए बरसात में आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता हैं, जैसे कि इस फ़ोटो में दिख रहा हैं ।
2 मैंने देखा हैं कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के द्वारा सरकार ने वादा किया है कि हर गाँव जिस की आबादी 500 से ज़्यादा हैं उस गाँव को पक्की सड़क मिलेगी ।
3 क्योंकि मेरे गाँव की आबादी 1,350 हैं, मैं इस योजना के द्वारा अपने गॉव के लिए पक्की सड़क मांगता हूँ । इस सड़क को 30 जॅन 2017 तक पूरी होनी चाहिए ।
4 अगर 31 दिसंबर 2016 तक सड़क बनने की शुरुआत न हो, तो मैं आर टी आई डालूंगा, मालुम करने के लिए कि मेरा आवेदन को क्या हुआ ।

रामेश कुमार, घर न 6, गली न 7, शिवारामपुर गॉव, ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश, टेलीफोन 9750 478 598
हम ने यह आवेदन उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को भी भेजा हैं ।

4. सही सरकारी दफ़्तर के कर्मचारी को आवेदन पत्र दे

आवेदन लिख कर आप सही सरकारी दफ़्तर को डाक से भेज सकते हैं (बगल तलिका में पीले खाने को देखिए) । अगर आप यह करें तो, रेजिस्टरड पोस्ट के द्व ारा ही अपना आवेदन भेजें, और रीसीट सुरक्षित रख ले, ताकि आप दिखा सकते हैं कि किस दिन यह भेजा गया था। मगर कुछ आवेदन के लिए बेहतर होता है कि आप खुद दफ़्तर जा कर कर्मचारी को जमा करे। यदि आप खुद आवेदन पत्र जमा करने जा रहे है तो निचे लिखी गई निमलिखित बाते का अवश्य ध्यान रखे :

मीटिंग से पहले तैयारी करना

- अपने साथ किसी आस पड़ोस के व्यक्ति को साथ ले कर जाए। यदि वह अफ़सर घूस मॉगता हैं तो वह साथी चश्मदीत गवाह बन सकता है।
- मिलने का समय तय करने के लिए, जाने से पहले फोन करे ताकि आपके समाय बर्बाद न हो।
- अच्छे कपड़े भी पहनना ताकि दिखा सकते है कि आप कोई है ।
- डायरी या कॉपी और पेन साथ ले जाए, ताकि आप काम के तारीख लिख सकते हैं ।
- हर कागज़ की 2 फोटोकॉपी ले जाए, एक अफ़सर को देने के लिए व एक साइन करके वापस आने पास रखने के लिए ।
- जो भी कागज़ात, दस्तावेज़ या चिट्ठी हो, उसकी असली वाला और उसके 2 फ़ोटोकापी ले जाए ताकि आप असली वाली अफ़सर को दिखा सके लेकिन उसे असली कॉपी मत दे।
- अपने अधिकार (बगल तलिका में हरे खाने को देखिए) को जान ले। अगर अधिकार मिलने के लिए कोई फीस, लगती है, तो उस के लिए पैसे ले कर जाए।
- दफ़्तर का नाम और पता जान लीजिए (बगल तलिका में पीले खाने को देखिए), ताकि समय पर पहुंचें ।
- पहले से ही सोच कर जाइए कि अगर हमारी बात नहीं मुनी जाए तो हम और किस किस तरह दबाव दाल सकते है । इसलिए बड़ा अफ़सर का नाम जान ले(बगल में गुलाबी खाने)
- पहले से सोच ले कि कौन क्या बात करेगा, ताकि सब लोग एक साथ न बोलने लगे ।

मीटिंग के दौरान

- अपना परिचय देना। अगर हो सके, उनका नाम, पद और फोन नम्बर भी पूछ कर लिख लेना।
- अपना आने का कारण साफ़ शब्दों में बताए और उन्हें पहले ही बोल दे कि आप उनका ज़्यादा समास नहीं लेंगे।
- जो भी कागज़ात या आवेदन देना है तो अपनी एक कॉपी पर "रीसीव्ड" मोहर ज़रुर लगवाए।
- यदि अफ़सर बहाने बनाए तो खामोश रहे, ऊची आवाज़ में न बोले। अगर झगड़ा होता है तो इसमें आपका ही नुक्सान होगा।
- जो कुछ भी अफ़सर आपसे कहते हैं, उसको दोहराना। उम्मीद हैं कि फिर वो अपनी अकारण प्रतिक्रियाए खुद महसूस करेगा।
- अगर कर्मचारी कहते है कि **बाद में देखेंगे** तो तारीख ज़रुर तय कीजिए, और वह तारीख अपनी कॉपी में लिख लीजिए।
- साफ़ साफ बताए कि अगर अपका काम नहीं हाता है तो आप और क्या दबाव डालेंगे (6वी कदम देखो) और कब तक, मगर गुस्सा न हो।
- जाते समय शुक्रिया ज़रूर कहिये। एसे कहने से, उम्मीद है कि अगला बार वह अफ़सर अपकी मदद करेंगे।

अगर कर्मचारी रिश्वत (घूस) या चाय पानी मांगे

- उससे पूछे कि इस पैसे के बारे में कहाँ लिखा है, ताकि उसकी गलती पर रोशनी पड़े ।
- उससे कहें कि आप पैसे देने को तैयार हैं अगर वो आपको लिखित पर्ची दे – वह कुछ भी लिखने से डर जाएगा।
- उसकी मांग को ज़ोर से दोहराएँ ताकि आस पास के लोग सुन सकें और उसे शर्म आए ।
- अगर वो फिर भी मांगे तो उसके सामने उसके बारे में पूरी जानकारी लिखें– नाम, पद, चेहरा, वह कहाँ बैठता हैं।
- अगर फ़िर भी धूस मांगे तो उसकी शिकायत उससे बड़े अफ़सर से लिखित रूप में करें।

मीटिंग के बाद, लिख लेना ताकि याद रहे:

- मीटिंग की तारीख और समय, किससे मिले, क्या नतीजा हुआ।
- जो भी कोई कागजात दिए या लिए है उसकी एक अलग फ़ाइल बना ले ।
- जो भी काम सरकारी कर्मचारी करेगा और कब तक। अगर वह न करे तो आप क्या करेंगे, और कब तक।

5. सही समय के लिए इंतज़ार करो

- जो भी काम हो – सड़क बनवाना, पहचान पत्र तेयार करवाना, या आंगनवाड़ी शुरू करवाना– सब में समय लगता हैं (बगल तलिका में नीले खाने को देखिए) ।
- मुनासिब समय– जहाँ तक अफ़सर ने काम करने के लिए वादा किया – उसके लिए आप को इंतिज़ार करना होगा।
- जैसा कि वह समय पास आ रहा है, अफ़सर को एक फ़ोन करे और उससे अपने दिए गए आवेदन के बारे याद दिलाए और उसे पूरा करने का दबाव डाले ।

6. अगर ज़रुरत पड़े तो अधिकारी पर थोड़ी दबाव डाले

अगर उचित समय का इंतेजार करने के बाद आपका काम नहीं हुआ है, तो आप अस सरकारी कर्मचारी पर थोड़ा दबाव डाले ।
दोबारा से सामुदायिक मीटिंग बुलाए और चर्चा करे कि किन तरीकों से दबाव डाला जा सकता है । काफी अलग तरीके हो सकते हैं, जेसेः

- बड़े अफ़सर से शिकायत करना (बगल तलिका में गुलाबी खाने को देखिए)
- **आर. टी. आई.** डालना, उस विभाग में जहां पहले आवेदन दिया । नीचे आर. टी. आई. का नमूना देखिए, आप आसानी से एसे ही लिखें।
- यदि आपका किसी **मीडिया** वाले को जानते है तो उससे सम्पर्क कीजिये : वह आपकी पुरे मामसे की कहानी लिख्झेगा।
- उसी सरकारी दफ़्तर के सामने बैठ कर आप शान्ति से **धरना** भी कर सकतो है।
- खाना व आय के योजना के लिए अपने प्रदेश के **सर्वोच्च न्यायाल्य कमीशनर** से बात कीजिए । सम्पर्क के लिए नीचे देखें ।

सर्वोच्च न्यायाल्य कमीशनर (http://www.sccommissioners.org/Contact/stateadvisers.html)

प्रदेश	नाम	ई मेल	मोबाइल
बिहाऱ	रुपेश	koshish_pt@yahoo.com	0 9431 021035
छत्तीसगढ़	समीर गर्ग	koriya@gmail.com	0 9425 583395
दिल्ली	वंदना प्रसाद	chaukhat@yahoo.com	0 9891 552425
झारखंड	बालराम	balramjo@gamil.com	0 9934 320657
मध्य प्रदेश	सचिन जैन	india.sachinjain@gmail.com	0 9977 704847
महाराष्ट्र	जोसेटोनी जोसेफ़	mahadvisor@gmail.com	0 9820 990961
ओड़िशा	विदया दास	vjatkspr@gmail.com	0 9437 960401
राजस्थान	अशोक खंदेवाल	ashokko@rediffmail.com	0 9968 249247
उत्तर प्रदेश	अरुंधती धुरू	rundhatidhuru@gmail.com	0 9415 022772
पश्चिम बँगाल	अनुराधा तलवार	jsanghaati@gmail.com	033 2438 2064

(आर टी आइ का नमूना केवल मोटे अक्षरों को बदलना है)

सेवा में
जन सूचना अधिकारी
लोक निर्माण विभाग,
फतेहपुर जिला
उत्तर प्रदेश

1 जुलाई 2017

विषयः आर टी आई अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन
शिवारामपुर के लिए पक्की सड़क के सम्बंध में जानकारी हेतु

महोदय,

1 **मैंने अपना गॉव शिवारामपुर के लिए पक्की सड़क के लिए 1 माई 2016** को आवेदन किया था। उस आवेदन की एक प्रति संलग्न है। मेरे आवेदन पर अभी तक किसी भी प्रकार की कार्यवही नहीं की गई है। इसलिए कृपया कर के निम्नलिखित जानकारी दे।
2 आपके विभाग के नियम और उपनियम के अनुसार, **पक्की सड़क बनाने** हेतु कितनी समय लगना चाहिए ?
3 मेरे आवेदन पर हुई दैनिक प्रगति उपलब्ध कराई जाए। इस अवधि में मेरा आवेदन जिस अधिकारी के पास था उसका नाम और पद उपलब्ध कराया जाए। उस अधिकारी के पास कितने समय तक मेरा आवेदन रहा और उस अवधि में उसने उस पर क्या कार्यवाही की ?
4 जिस अधिकारी/कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की और देरी का कारण बना, उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की जाएगी? ये कार्यवाही कब की जाएगी ?
5 **शिवारामपुर अपनी पक्की सड़क बनाने** कब तक प्राप्त कर पाऊंगी?

मैं इस आर टी आई के साथ आवेदन शुल्क (रु. 10) अलग से जमा कर रही हूं। अगर आप महसूस करते हैं कि ये सूचना आपके विभाग से सम्बंधित नहीं है तो कृपया आर टी आई अधिनियम 2005 के अनुच्छेद का 6(3) अनुपालन करें। आरटीआई अधिनियम 2005 के अनुसार कृपया अपने विभाग प्रथम अपील अधिकारी का विवरण (नाम व पद) अनुरोध किए गए उक्त जवाब के साथ हमें प्रदान करने की अनुकम्पा प्रदान करें ताकि मैं जरूरत पड़ने पर प्रथम अपील दायर कर सकूं।

धन्यवाद

रामेश कुमार,
घर न 6, गली न 7,
शिवारामपुर गॉव, ज़िला फतेहपुर, उत्तर प्रदेश,
टेलीफोन 9750 478 598
हम ने यह आर टी आई उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग को भी भेजा हैं ।

7. सफ़लता मिलने पर सब के साथ खुशी मनाओ

उम्मीद हैं कि इन 7 कदमों को पूरा करने से आप को आखिर में अपने अधिकार मिल ही जाएगें, और सब को उस के फायदे मिलेंगे।
अगर यह हो जाए तोः

- सब लोग जिन्होने मदद की उन के साथ खुशी मनाओ । सब को समोसे और मिठाई खिलाओ !
- जिस अफ़सर ने अच्छा काम किया, उन को शुक्रिया ज़रुर कहिए। उसको अच्छा भी लगेगा, और शायद वह बाद में और मदद करेगा।
- दूसरे गाँव व बस्ती वालों को अपनी सफ़लता के बारे में जरुर बताए और अगर वह भी ऐसे ही कोशिश करने चाहते हैं, उनको भी मदद करो।
- दुबारा सब लोगों के साथ मिल कर फ़ैसला
- कीजिये कि अब अगली कौनसी समस्या को ले ताकि उस समस्या के साथ आप फिर से वैसे ही शुरूआत करे । यानी आप पहले कदम से काम फ़िर शुरू करे ।

सफ़लता की कहानियाँ

दिल्ली बस्ती को आंगनवाड़ी की प्राप्ति

सरकारी नीति हैं कि हर 40 बच्चों के लिए एक आंगनवाड़ी प्रदान करना हैं। जनता कालोनी में 60,000 गरीब निवासी रहते हैं पर कोई आंगनवाड़ी नहीं थे । मई 2010 में ऐनथोनी ने जनता कालोनी में एक आंगनवाड़ी स्थापित करने के लिए दिल्ली एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम से आवेदन किया ।

निर्देशक ने ऐनथोनी से कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्र दो महीने के बाद शुरू किया जाएगा, लेकिन 5 महीने के बाद एक भी आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं शूरु हुआ। ऐनथोनी ने अपने आवेदन के बारे में पता लगाने के लिए एक आर टी आई आवेदन दर्ज कराई। जिसका जवाब मिला एक नहीं बल्कि 17 आंगनवाड़ी केंद्र जनता कालोनी में शुरू किए जाएंगे । मार्च बीत गया ऐनथोनी ने जांच करने के लिए सरकारी कार्यालय में आवेदन किया। आखिरकार जून 2011 में आंगवाड़ी केंद्र एक के बाद एक खुलने लगें। एक साल से अधिक का समय लगा लेकिन ऐनथोनी के हठठी दृढ़ता का अंत में उसे भुगतान मिला। 2011 में 8 और आंगनवाड़ी केन्द्र खुले । आज जनता कालोनी में आंगनवाड़ी केन्द्र कुपोषित बच्चों को भोजन खिलाने के अलावा 15–17 साल की लड़कियों और गर्भवती महिलाओं के लिए दैनिक भोजन प्रदान करते हैं।

गुड्डन को गैस कनेक्शन

गुड्डन दो साल से पक्का गैस कनेक्शन लेने की कोशिश में लगी हुई थी। गैस कर्मचारियों हर बार कोई भी बहाना दे कर उसको कनेक्शन देने से मना कर देते थे। फिर गुड्डन सीखी कि गैस कनेक्शन लेना उसका अधिकार है और किस तरह अपने आवेदन पत्र को आगे बढ़ाना है । वह दोबारा गैस कनेक्शन के दफतर गई। कर्मचारियों ने फ़िर उसे मना कर दिया । इस बार गुड्डन ने धमकाया कि वह बड़े अफसर जो लखनऊ में है उनसे शिकायत करेगी । बस इतना बोलना काफ़ी था । कर्मचारी उसकी हिम्मत देखकर डर गए और वे तुरंत काम पे लग गए । गुड्डन को अपना कनेक्शन एक हफ्ते में मिल गया ।

झारखंड गाँव में बिजली का कनेक्शन

कड़गदोनी झारखंड के एक बहुत भीतरी गाँव हैं जो सड़क से बहुत दूर हैं। इस गाँव में बिजली की संभावना कम थी क्योकि कई अन्य गाँव जो सड़क के करीब हैं उनमें भी बिजली नहीं थी। संगठन के आधार समुदाय (सी.बी.ओ.) 1 साल से गाँव में बिजली लानें की कोशिश कर रहा था लेकिन बिजली बोड से लगातार रिश्वत मांगने का सामना करना पड़ा । एक छोटी सी ट्रेनिंग के बाद सीबीओ राजीव गांधी ग्रामीण विधुत योजना के तहत और अधिक अधिकारों को सीखने लगे । सामूहिक रूप से रू 13000 रिश्वत का भुगतान नहीं देने का फेसला कर दिया। सरकार पर दबाव डालने के लिए एक साथ काम करने लगे । उन्होंने अपने पंचायत नेता से आवेदन किया । फ़िर वे सड़क की सफाई की, ताकि बिजली कनेक्शन के सामग्री गाँव तक पहुँच सके। कुछ ही दिनों में बजली कनेक्शन मिल गया।